

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:- 10/2013

दायर दिनांक:- 15.10.2023

जीसीएमएस नं. 2013/00668
उनवान

ग्यारसी बेबा कजोडी जाति जाटव निवासी ग्राम मूंडियाकापुरा फुलवाडा तहसील
हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---प्रार्थीगण-12

बनाम

शकुन्तला बेबा किरोडी जाति जाटव निवासी ग्राम मूंडियाकापुरा फुलवाडा तहसील
हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अपील नामांतकरण

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 76 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 09.12.2013 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 10/2013 ग्यारसी बनाम शकुन्तला आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

